

## राजस्थान कृषि विश्वविद्यालय बीकानेर

दिनांक 12.10.2006 को प्रातः 10.30 बजे सभागार, कुलपति सचिवालय, प्रशासनिक कार्यालय, राजस्थान कृषि विश्वविद्यालय, बीकानेर में आयोजित प्रबन्ध मण्डल की बैठक का कार्यवाही विवरण

निम्नांकित सदस्य उपस्थित थे:-

1.	प्रो० परमात्मा सिंह	अध्यक्ष
2.	श्री तपेश पेंवार, सचिव पशुपालन	सदस्य
3.	डा० सुरेश चौधरी, विधायक	सदस्य
4.	श्री जे.सी.बिश्नोई (अतिरिक्त संभागीय आयुक्त प्रतिनिधि प्रमुख शासन सचिव, उच्च शिक्षा)	सदस्य
5.	डा० पोकरसिंह राठौड (परियोजना निदेशक अनुसंधान प्रतिनिधि निदेशक कृषि)	सदस्य
6.	डॉ भवानी सिंह	सदस्य
7.	डा० आर.ए.सिंघानियां	सदस्य
8.	डा० ए.के.धाहमा	सदस्य
9.	डा० हनुमान प्रसाद	सदस्य
10.	डा० एस.जे.सिंह	सदस्य
9.	डा० पी.एल.नेहरा	सदस्य
10.	डा० रामअवतार शर्मा	सदस्य
13.	श्री जे.पी.माथुर	सदस्य सचिव

प्रमुख शासन सचिव कृषि उत्पादन, प्रोफेसर मधुसुदन शर्मा, सदस्य ने बैठक में भाग नहीं लिया।

बैठक के प्रारंभ में कुलपति ने डा० ए.के.गहलोत द्वारा दी गई सेवाओं की सराहना की तथा डा० भवानी सिंह व डा० पी.एल.नेहरा के नये सदस्य मनोनीत होने पर स्वागत किया साथ ही श्रीमान् प्रमुख शासन सचिव उच्च शिक्षा के प्रतिनिधि के रूप में बैठक में पधारें श्रीमान् अतिरिक्त संभागीय आयुक्त बीकानेर, श्री जे.सी.बिश्नोई तथा डॉ पोकर सिंह राठौड निदेशक कृषि के प्रतिनिधि के रूप में पधारने पर स्वागत किया।

राकृवि / बोम-66 / 2006-4 / 1020	<p>प्रबन्ध मण्डल की बैठक दिनांक 24.6.2006 के कार्यवाही विवरण की पुष्टि करने बाबत ।</p> <p>पारित <b>(Resolved)</b> किया गया कि प्रबन्ध मण्डल की बैठक दिनांक 24.6.2006 के कार्यवाही विवरण की पुष्टि की जाए:-</p>
राकृवि / बोम-66 / 2006-4 / 1021	<p>प्रबन्ध मण्डल की बैठक दिनांक 24.06.2006 के कार्यवाही विवरण पर की गई कार्यवाही बाबत ।</p> <p>पारित <b>(Resolved)</b> किया गया कि कार्यवाही विवरण के बिन्दुओं पर की गई कार्यवाही को नोट कर लिया जाए ।</p>
राकृवि / बोम-66 / 2006-4 / 1022	<p>राजस्थान कृषि विश्वविद्यालय, बीकानेर में शैक्षणिक पदों में सीधी भर्ती हेतु विकलांगों को कानून व नियमानुसार आरक्षण नियम लागू करने बाबत ।</p> <p>पारित <b>(Resolved)</b> किया गया कि शैक्षणिक पदों में सीधी भर्ती हेतु विकलांगों को कानून व नियमानुसार आरक्षण नियम लागू करने के प्रकरण को राज्य सरकार को अनुमति हेतु भेज दिया जाए ।</p>
राकृवि / बोम-66 / 2006-4 / 1023	<p>डा० श्रीमति कुसुम कोठारी, सहायक आचार्य, गृहविज्ञान विस्तार शिक्षा, कृषि विज्ञान केन्द्र, कुम्हेर-भरतपुर के दिनांक 13.3.1999 से 04.04.2003 तक स्वेच्छा से अनुपस्थित रहने के प्रकरण को नियमित करने के संबंध में।</p> <p>प्रकरण पर विस्तृत विचार विमर्श किया गया । सदस्यों का मत था कि स्वेच्छा से अनुपस्थित रहने के विश्वविद्यालय में क्या नियम हैं इसका पुनः परीक्षण किया जाए । स्वेच्छा से अनुपस्थिति असाधारण अवकाश (EOL ) के नियमों के अंतर्गत स्वीकार्य नहीं हैं । पारित <b>(Resolved)</b> किया गया कि प्रकरण का नियमों के अंतर्गत पुनः परीक्षण किया जाए साथ ही यह भी सुनिश्चित कर लिया जाए कि प्रकरण प्रबन्ध मंडल की सक्षमता में आता है या नहीं ।</p>

राकृवि/बोम-66/2006-4/1024	<p>विश्वविद्यालय द्वारा नामित सदस्यों को मानदेय राशि रूपये 500/- देय करने के संबंध में ।</p> <p>पारित (<b>Resolved</b>) किया गया कि नामित सदस्यों को मानदेय राशि रूपये 500/- इस शर्त के साथ देय हैं कि नामित सदस्य अपने पैतृक विभाग से दैनिक भत्ता व मानदेय नहीं लेगा ।</p>
राकृवि/बोम-66/2006-4/1025	<p>अधिशाषी सारांश बाबत दसवीं पंचवर्षीय योजना की उपलब्धियों तथा ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना का प्रस्ताव अवलोकनार्थ ।</p> <p>पारित (<b>Resolved</b>) किया गया कि राज्यसरकार को भेजे गये प्रस्ताव की पुष्टि की जाए ।</p>
राकृवि/बोम-66/2006-4/1026	<p>माननीय कुलपति महोदय द्वारा जारी आदेशों की पुष्टि करने बाबत ।</p> <p>पारित (<b>Resolved</b>) किया गया कि कुलपति महोदय द्वारा जारी आदेश क्रमांक एफ./राकृवि/स्था/गुप-1/2006/1132 दिनांक 31.7.2006, एफ./राकृवि/स्था/गुप-1/2006/1133 दिनांक 31.7.2006, No.F./RAU/Estt/Gr.I/2006/1174 dt. 10.8.2006, No.F./RAU/Estt/Gr.I/2006/1175 dt. 10.8.2006, No.F./RAU/Estt/Gr.I/2006/1196 dt. 19.08.2006, No.F./RAU/Estt/Gr.I/2006/1254 dt. 07.09.2006, No.F./RAU/Estt/Gr.I/2006/1257 dt. 07.09.2006, No.PF./RAU/Estt/Gr.I/2006/1249 dt. 04.09.2006, No.F./RAU/Estt/Gr.I/2006/1262 dt. 13.9.2006, No.F./RAU/Estt/Gr.II/2006/2198 dt. 13.09.2006, एफ.राकृवि/स्था/गुप-2/2006/2276 दिनांक 25.09.2006, क्रमांक पं. 330(111)/राकृवि/स्था/गुप-2/2006/2277 दिनांक 25.9.2006, निम्न के साथ पुष्टि की गई:-</p> <p>भविष्य में विश्वविद्यालय द्वारा जारी किये जाने वाले आदेशों में सकारात्मक भाषा का प्रयोग में किया जाए ।</p>

राकृवि/बोम-66/2006-4/1027	<p>राकृवि/बोम-63/2006-1/1006 दिनांक 25.2.2006 के निर्णय की अनुपालना में विशेषाधिकारी, उच्च शिक्षा, शिक्षा (ग्रुप -4), राजस्थान सरकार, जयपुर से प्राप्त पत्रांक संख्या "F.15(7)Edu.4/2006 dated 13.6.2006 regarding not allow two advance increments on acquiring Ph.D. Degree during service period till the approval of the Finance Department is received in this regard" अवलोकनार्थ प्रस्तुत हैं ।</p> <p><b>Resolved that action to grant two advance increment on acquiring Ph.D. degree during service period be not taken till the approval from Finance Department, Govt. of Rajasthan is received.</b></p>
राकृवि/बोम-66/2006-4/1028	<p>अन्य कोई प्रकरण हो तो अध्यक्ष महोदय की अनुमति से विचार करने बाबत् । इस मद को पूरक कार्य सूची में शामिल कर लिया गया है ।</p>
राकृवि/बोम-66/2006-4/1029	<p>विश्वविद्यालय से संबधता महाविद्यालय से प्रतिवर्ष की संबधता शुल्क राशि में वृद्धि करने बाबत् ।</p> <p>प्रकरण पर विस्तृत विचार विमर्श कर पारित <b>(Resolved)</b> किया गया कि प्रकरण को आगामी प्रबंध मण्डल की बैठक में विचारार्थ हेतु रखा जाए ।</p>
राकृवि/बोम-66/2006-4/1030	<p>प्रबन्ध मण्डल के निर्णय बैठक दिनांक 24.6.2006 में पारित प्रस्ताव संख्या राकृवि/बोम-65/2006-3/1012 की पालना में विश्वविद्यालय आदेश क्रमांक प (बोम.एजे.)/राकृवि/स्था/ग्रुप-2/2006/2292 दिनांक 27.9.2006 की पुष्टि करने बाबत् ।</p> <p>यह प्रकरण विचारार्थ रखा गया और प्रबन्ध मण्डल को यह अवगत करवाया गया कि स्थानापन्न, अस्थाई, तदर्थ, स्टॉपगोप-अरेजमेंट के रूप में जिन कर्मचारियों को नियुक्त किया गया और जिनकी सेवाएं निरन्तर बनी रही उनकी सेवाएं नियमानुसार पेंशन में शामिल करने योग्य हैं और इस संबंध में माननीय उच्च न्यायालय ने निर्णय भी पारित किये हैं ।</p> <p>बाद विचार विमर्श यह निर्णय लिया गया कि पूर्ण तथ्यों के साथ इस प्रकरण को आगामी प्रबंध मंडल की बैठक में रखा जाए ।</p>

